(c) if Air India is not doing the ticketing itself in Bangkok what is reason for keeping a huge staff in Bangkok; and

(d) by when the rationalisation of the offices of Air India in Bangkok will be done.

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Yes, sir.

(b) No, sir.

(c) and (d) Air India has filled up only 23 posts against the standard force of 32 sanctioned for Bangkok office.

सेबी के उद्देश्य

3497. **डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सेबी" का गठन शेयर बाजार पर उपयुक्त नियंत्रण रखने के उद्देश्य से किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अपने निर्दिष्ट कार्य सफलतापूर्वक कर रही है अथवा क्या इसके मार्ग में कोई कठिनाईयां अथवा कानूनी खामियां है;

(ग) क्या कुछ कंपनियां नये शेयर जारी करते समय पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराती और संशोधन जारी करती है और इस प्रकार जनता को अंधेरे में रखती हैं;

(घ) ऐसे मामलों में "सेबी" का उत्तरदायित्व क्या है; और

(ङ) क्या सरकार सेबी को इस संबंध में दोषी कंपनियों को सजा देने का अधिकार देने हेतु कानून में कोई उपयुक्त संशोधन करेगी?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी हां। सेबी का एक उद्देश्य प्रतिभूति बाजार का नियमन करना है।

(ख) सेबी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कार्यरत है। सेबी को और प्रभावी बनाने के लिए 1995 के प्रतिभूति नियम (संशोधन) अधिनियम ने इसकी शक्तियां बढ़ा दी है।

(ग) और (घ) निवेशक सुरक्षा संबंधी सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्गमकर्ताओं को सेबी द्वारा अनिर्धारित प्रकार से विवरणिका में तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण करना होता है। स्वीकृति पत्र के जारी करने के पश्चात किसी महत्वपूर्ण प्रगति का भी निर्गमकताओं द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रचार किया जाना चाहिए। उन मामलों में जिनमें पूर्ण प्रकटीकरण नहीं किया गया है सेबी स्वीकृति पत्र वापस ले सकता है, निर्गम आस्थगित कर सकता है, निवेशकों को निर्गम से निवेश वापस लेने का विकल्प प्रदान कर सकता है अथवा कंपनी को आवदकों को संपूर्ण राशि लौटाने का निर्देश दे सकता है।

(ङ) सेबी अधिनियम की धारा 11-बी० के अन्तर्गत सेबी को पहले ही पूंजी निर्गम से संबंधित मामलों में कंपनियों को निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

Shares held by foreign investors in ICICI

3498. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that foreign investors have acquird shares in ICICI;

(b) if so, quantum of shares held by foreigners in ICICI;

(c) whether Government will ban sale of ICICI shares to foreign investors; and

(d) if not, how Government propose to protect ICICI from foreign control?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) (a) The Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd. (ICICI) has reported that it has had foreign shareholding since its inception in 1955.

(b) As per information provided by ICICI, the holding of shares by foreigners in ICICI as on August 8, was 1996 was 32.53%. Out of this, Bankers Trust Company as Depository (GDR issue) holds 22.40% shares which do not carry any voting rights.

(c) and (d) ICICI has reported that the sale of its shares to foreign investors in governed by Government of India policies and all other statutory regulations.